मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

प्रकरण वाद संख्या :- 182/2023

1. मोहन सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

--- वादी

बनाम

1. अमनदीप कौर पुत्री बलजीत कौर जाति कुम्हार सिख निवासी सावुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. अमरीक सिंह पुत्र सुखपाल सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी सावुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

---प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. घोषणा

निर्णय दिनांक :- 15.02.2024

वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैलसिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.02.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णितचक नम्बर 6 एम.एस.टी. के खाता संख्या 15/12 में दर्ज कुल 16.205 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/36 हिस्सा व प्रतिवादी [illegible] 1/36 की आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित [illegible] के खाता संख्या 15/12 में से अमनदीप कौर व अ[illegible] जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:10:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 15.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	— —	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	— —
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	— —	अर्जी के लिये स्टाम्प	— —
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	— —	प्लीडर की फीस	— —
रूपये पर प्लीडर की फीस	— —	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	— —
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	— —	आदेशिका की तामिल	— —
कमिश्नर की फीस	— —	कमिश्नर की फीस	— —
आदेशिका की तामिल	— —		
योग	— —	योग	— —

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:10:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner